(80)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

गोबिंद सिंह यादव तनय स्व घूमन सिंह यादव , आयु 65 साल निबासी ग्राम गड़रिया ढोंगा , तह0 एवं जिला सागर म0 प्र0

.....आवेदक

वनाम

1– म0 प्र0 शासन द्वारा नायब तहसीलदार नरयावली, जिला सागर

2– राजकुमार यादव तनय स्व घूमन सिंह यादव ,
निबासी ग्राम गड़रिया ढोंगा , तह0 एवं जिला सागर म0 प्र0

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय नरयावली, जिला सागर द्वारा प्र0क0 41/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25/06/2016 से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विविरण इस प्रकार है कि, अनावेदक क0 02 के नाम से ग्राम खैरा सलैया, स्थित भूमि खसरा नंबर 291 रकवा 1.15 हैक्टेयर आवेदक को पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त हुई थी। जिस पर आवेदक का कब्जा है। उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम पर करने वावद अनावेदक कमांक 02 द्वार स्वीकृति भी प्रदान की गई थी , जिसके आधार पर आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था तथा उपरोकत भूमि को आवेदक के नाम पर दर्ज करने वावद अनावेदक कमांक 02 द्वारा लिखित सहमति पत्र , आपसी बंटवारा नामा तथा दोनों पक्षों के शपथपत्रों के सहित नायब तहसीलदार नरयावली मंडल के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2566–एक / 16 जिला –सागर

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
5.8.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार नरयावली जिला सागर के प्रकरण कमांक 41/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25.6.16 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक–2 के नाम से ग्राम खैरा सलैया में भूमि खसरा नंबर 291 रकबा 1.15 है0 भूमि स्थित है, जो आवेदक को पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त हुई थी। जिस पर आवेदक का कब्जा है। उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम पर करने बावत अनावेदक कमांक 2 द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। जिसके आधार पर आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। वादभूमि को आवेदक के नाम पर दर्ज करने बावत अनावेदक कमांक 2 द्वारा लिखित सहमति पत्र आपसी बंटवारा नामा तथा दोनों पक्षों के शपथपत्रों के सहित नायब तहसीलदार नरयावली मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो आवेदनपत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये । प्रश्नाधीन आदेश तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर

विचार किया गया तथा निगरानी के साथ प्रस्तुत अधिनस्थ न्यायालय के संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को पारिवारिक बंटवारा में वादग्रस्त भूमि प्राप्त हुई है, जो अनावेदक कमांक–2 जो आवेदक का सगा भई है, के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसे आवेदक के नाम पर दर्ज किया जावे। आवेदक द्वारा अपने आवेदनपत्र के समर्थन में आपसी बंटवारानामा दिनांक 25.4.2005 तथा दोनों पक्षों के फोटोयुक्त सहमति पत्र दिनांक 2.11.15 जो 50 रूपया के स्टांप पर लेख किया गया है, एवं दोनों पक्षों के शपथपत्र तथा अपने सगे भाई उमेश का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया था। जिसमें वादग्रस्त भूमि आवेदक को पारिवारिक बंटवारा में प्रदान करने का लेख है तथा सभी की उसके नाम नामांतरण करने की सहमति है। अनावेदक कमांक–2 द्वारा स्वयं अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे नजर अंदाज करके जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विरूद्व है।

4– अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.6.16 निरस्त किया जाताहैं अधिनसी न्यायालय को आदेशित किया जता है कि प्रकरण की वादग्रस्त भूमि खसरा नबर 291 रकवा 1.15 है0 पर राजस्व अभिलेख में अनावेदक कमांक 2 के स्थान पर आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य